न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर

कैम्प कोर्ट – जमालपुर

दावा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम 1955

बउनवान मोतीलाल बनाम प्रसादी वगै०

मु०नं० 2/103 ता० रज्जू 02.09.2015

–:निर्णय:– दिनांक 03.05.2018

आज पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान–2018 में कैम्प कोर्ट जमालपुर में पेश हुई। प्रतिवादी सं० 01 उप०। प्रतिवादी को सुना। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। वाके ग्राम बाढ बिलन्दी तहसील मालाखेडा में विवादित खाता संख्या 19 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 155 रकबा 0.89 है०, 156 रकबा 0.02 है०, 157 रकबा 0.23 है०, 160 रकबा 0.02 है०, 161 रकबा 0.63 है० में प्रार्थी का 5/12 हिस्सा एवं खाता संख्या 20 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 127 रकबा 0.01 है०, 128 रकबा 0.36 है०, 134 रकबा 0.29 है०, 137 रकबा 0.31 है० में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है। विवादित आराजी के प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगा० 08 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है, किन्तु बटवारा नहीं हुआ है। वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का

प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2017 से TI बहस हेतु विचाराधीन है। विभाजन का दावा है। वाद की बहुलता को रोकने के लिए मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र में दिनांक 02.09.2015 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा करते हुए उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित खाता संख्या 19 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 155 रकबा 0.89 है०, 156 रकबा 0.02 है०, 157 रकबा 0.23 है०, 160 रकबा 0.02 है०, 161 रकबा 0.63 है० एवं खाता संख्या 20 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 127 रकबा 0.01 है०, 128 रकबा 0.36 है०, 134 रकबा 0.29 है०, 137 रकबा 0.31 है० की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को लिखाया जाकर मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे।

(जावेद अली)
सहायक कलक्टर,
अलवर
सहायक कलक्टर,
अलवर (राज०)